



GIL/GKP/2026-27
September 08, 2026

BSE Limited
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai- 400 001. INDIA.
Scrip Code: 532726

National Stock Exchange of India Limited
"EXCHANGE PLAZA",
Bandra – Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400 051. INDIA.
Symbol: GALLANTT

SUB: SUBMISSION OF NEWSPAPER CUTTINGS FOR PUBLICATION OF NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Please find attached herewith the newspapers cuttings of Notice of 22nd Annual General Meeting, Book Closure and E-voting of the Members of the Company published on September 08, 2026 in two newspapers Business Standard (English - all edition) and Dainik Jagran (Hindi -Vernacular).

Kindly take the same on your record.

Yours faithfully,
For GALLANTT ISPAT LIMITED

Nitesh Kumar
COMPANY SECRETARY
M. No. F7496

Encl: As above

GALLANTT ISPAT LIMITED

CIN: L27109UP2005PLC195660

Registered Office & Gorakhpur Unit: Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA),
Sahjanwa, Gorakhpur – 273209, Uttar Pradesh

Tele-fax: 0551 3515500, E-mail: csgml@gallantt.com, Website: www.gallantt.com

Gujarat Unit: Survey No. 175/1, Near Toll Gate, Samakhyali, Bhachau, Distt. Kutch – 370150, Gujarat

पर्चे पर जेनेरिक, काउंटर पर दे रहे ब्रांडेड दवाएं

INVESTIGATE डॉक्टर्स का पर्चा देखते ही बोलता है केमिस्ट, यह दवा अब आ ही नहीं रही

बाद में उसी सॉल्ट की दवा बताकर थमा देते हैं महंगे रेट वाली ब्रांडेड दवा

gorakhpur@inext.co.in
GORAKHPUR (7 Sep): अगर आप भी डॉक्टर के पर्चे पर लिखी ब्रांडेड दवा की तलाश में अपनी जेब ढीली कर रहे हैं तो संभल जाएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दवा मंडी भालोेटिया मार्केट में इन दिनों जीवन रक्षक दवाओं की ब्रांडेड आढ़ में बड़ा खेल चल रहा है। जिस मर्ज का इलाज महज कुछ रुपये की जेनेरिक दवा से हो सकता है, उसके लिए आम जनता से 100-200 रुपये तक वसूल जा रहे हैं। जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के बावजूद सांठगांठ का ऐसा मायाजाल बुना गया है कि मरीज ब्रांडेड दवाओं के कर्ज तले बहने को मजबूर हैं। दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि दवा कंपनियों, चंद डॉक्टर्स और बिचौलियों का यह कॉन्टेल खेल जनता की सेहत और जेब दोनों को डस रहा है।

ऐसे किया जा रहा खेल

सरकारी आदेशों के बावजूद मार्केट में जेनेरिक (सस्ती) दवाओं को जानबूझकर गायब कर दिया गया है और मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसमें ऐसे खेल किया जाता है कि डॉक्टर पर्चे पर जेनेरिक दवा का नाम लिखता है, लेकिन केमिस्ट पर्चा देखते ही कह देता है कि ये दवा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर पर्चे पर पैरासिटामोल या पेटोरवास्टेटिन लिखते हैं। जब पेशेंट यह पर्चा लेकर भालोेटिया मार्केट के किसी होलसेलर या रिटेलर के पास पहुंचता है तो खेल शुरू हो जाता है।

इस नाम की दवा नहीं

काउंटर पर बैठा केमिस्ट डॉक्टर का पर्चा देखते ही सिर हिला देता है और कहता है इस नाम की कोई दवा बाजार में नहीं है। कंपनी ने सप्लाय ही बंद कर दी है। ऐसे में पेशेंट घबरा जाता है। तभी केमिस्ट एक विकल्प पेश करता है, यह जेनेरिक तो नहीं है, लेकिन इसी सॉल्ट की एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी की दवा है, थोड़ी महंगी है। बेबस पेशेंट अब बिना मोल-तोल किए अपनी गाढ़ी कमाई उस महंगी ब्रांडेड दवा पर लुटा देता है।

क्यों महंगी हो रही सांसें

भालोेटिया मार्केट के जानकारों के मुताबिक जेनेरिक दवाएं उतनी ही सुरक्षित और असरदार हैं, जितनी की ब्रांडेड। अंतर सिर्फ इतना है कि जेनेरिक दवाओं का भारी-भरकम विज्ञापन नहीं होता और डॉक्टर्स को महंगे फिफ्ट या कमीशन नहीं दिए जाते। दवा मंडी में जेनेरिक दवाओं का अंबार लगा है, लेकिन जब कोई तीमारदार पर्चा लेकर पहुंचता है तो उसे सॉल्ट की बजाय खास ब्रांड नाम की दवा थमाई जाती है। अगर मरीज जेनेरिक दवा की बात करता तो उसे डरा दिया जाता है कि जेनेरिक दवाएं काम नहीं करेंगी।

ब्रांडेड जेनेरिक का भ्रमजाल

- कंपनी पेटेंट खत्म हो चुकी जेनेरिक दवाओं को ही एक नया आकर्षक नाम दे देती हैं
- नाम बदलते ही दवा जेनेरिक से ब्रांडेड हो जाती है और दवा के दाम 50-80 पैसे तक बढ़ जाते हैं
- पेशेंट को लगता है वह कोई विशेष पेटेंट या विदेशी फॉर्मूला खरीद रहा है, जबकि वह सिर्फ एक महंगे रेपर का पैसा दे रहा होता है।

क्या आप भी मानते हैं कि डॉक्टर, केमिस्ट व दवा कंपनियों का गटजोड़ पेशेंट को लुट रहे, हमें जरूर बताएं?

हमें ब्लाट्सपण करें 9936905427

जीते जी न्याय मिल जाए... बुजुर्ग की एसडीएम से गुहार

नौ मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुई तैयार 50 रेलकर्मियों को मिल जाएगा आवास

gorakhpur@inext.co.in
GORAKHPUR (7 Sep): उम्र 82 साल, पेशे से सेवानिवृत्त शिक्षक और बीते 16 वर्षों से एक ऐसी गलती का खामियाजा भुगत रहे थे, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। सिकटोर निवासी लक्ष्मी नारायण द्विवेदी सोमवार को एसडीएम सदर के कार्यालय पहुंचे तो उनकी एक ही इच्छा थी कि जीते जी जमीन के कागजों में अपना नाम फिर देखना।

कर दिया गया खारिज

लक्ष्मी नारायण ने एसडीएम ज्ञान प्रताप सिंह को बताया कि वर्ष 2009 में कुशीनगर-लखनऊ नेशनल हाइवे के लिए उनकी 6.5 एयर जमीन का अधिग्रहण हुआ था। राजस्व अभिलेखों की कंप्यूटर फीडिंग में रकबे का अंक गलत दर्ज हो गया। उनकी कुल जमीन 24 एयर थी, लेकिन 65 एयर रकबा खारिज कर दिया गया।

पत्रावली तक थी मारब

मामला धारा 38-ए के तहत कागजात दुरुस्ती का था। वह वर्षों तक कचहरी के चक्कर लगाते रहे। अधिवक्ता शंभू शरण शुक्ल के मुताबिक एक अगस्त 2023 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी और एक अगस्त 2026 को तहसीलदार सदर की रिपोर्ट पत्रावली में लगी।

अब खतौनी नाम होगा दर्ज

सोमवार को एसडीएम ने बुजुर्ग की बात सुनकर उन्हें अपने पास कुर्सी पर बैठाया। पेशेकार से तत्काल पत्रावली मंगाई और कागजात दुरुस्त करने का आदेश जारी कर दिया। एसडीएम ने बताया कि दो-तीन दिन में खतौनी में लक्ष्मी नारायण का नाम दर्ज हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि जिनकी गलती नहीं है, उन्हें वर्षों तक ऐसी परेशानी नहीं झेलनी चाहिए।

सतर्कता पिछले साल 139 थे, सर्वे में बढ़कर संख्या 208 तक पहुंची दिल्ली हादसा : जर्जर भवनों को लेकर चिंता बढ़ी

कई भवन आबादी वाले इलाके में, नोटिस जारी करने तक सिमटी कार्रवाई

gorakhpur@inext.co.in
GORAKHPUR (7 Sep): दिल्ली में बहुमंजिला इमारत गिरने और दबकर पड़े की मीत के बाद शहर के जर्जर भवनों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। शहर में जर्जर भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई हर साल नोटिस जारी करने और सूची तैयार करने तक ही सिमटी रही।

सिटी में 208 जर्जर भवन

पिछले वर्ष नगर निगम क्षेत्र में 139 जर्जर भवन चिह्नित किए गए थे। इस वर्ष हुए सर्वे में 69 और मकानों को जर्जर श्रेणी में शामिल किया गया है। इस तरह शहर में जर्जर भवनों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। इनमें कई भवनों ऐसे हैं, जो आबादी वाले इलाकों में हैं और किसी भी समय हादसे का कारण बन सकते हैं। नगर आयुक्त अजय जैन के निर्देश पर चिह्नित जर्जर भवनों को गिराने की शुरुआत हुई है। इसके तहत सोमवार को नरसिंहपुर और हार्बर्ट बंधे के पास नगर निगम के दो जर्जर शौचालय गिराए गए।

हर वर्ष बनती है सिर्फ सूची

हर वर्ष बरसात शुरू होने से पहले या बारिश के दौरान नगर निगम जर्जर भवनों की सूची तैयार करता है। इसके बाद संबंधित मकान मालिकों को नोटिस जारी कर खाली की मरम्मत कराने अथवा उसे खाली करने की

चेतावनी दी जाती है। नगर निगम की यह कवायद कई वर्षों से जारी है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली में जर्जर भवन से जुड़ी घटना के बाद नगर निगम प्रशासन एक बार फिर सक्रिय हुआ है।

एक बार फिर बन रही सूची

नगर आयुक्त अजय जैन के निर्देश और अगर नगर आयुक्त अतुल कुमार के निर्देशन में चिह्नित जर्जर भवनों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व अधिकारी बोपाल उपाध्याय की ओर से ऐसे भवनों की अलग सूची तैयार कराई जा रही है, जिनके संबंध में अदालत में कोई मामला लंबित नहीं है।

जिन पर विवाद नहीं, होंगे ध्वस्त

न्यायालय से संबंधित विवाद नहीं होने वाले भवनों की सूची तैयार होने के बाद उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे उन भवनों को हटाने

दो जर्जर भवन किए गए ध्वस्त, पुलिस बल रहा तैनात

GORAKHPUR (7 Sep): बरसात के बीच जर्जर भवनों को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को नगर आयुक्त अजय जैन के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने नरसिंहपुर और हार्बर्ट बंधा क्षेत्र में दो अत्यंत जर्जर भवनों को ध्वस्त कर दिया। दोपहर करीब दो बजे शुरू हुई कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नगर निगम के अनुसार दोनों भवन काफी समय से जर्जर स्थिति में थे। इन्के कभी भी गिरने की आशंका

का रास्ता साफ होगा, जो लंबे समय से जर्जर स्थिति में खड़े हैं। नगर आयुक्त अजय जैन के निर्देश पर नरसिंहपुर और हार्बर्ट बंधे के पास सोमवार को दो जर्जर शौचालय गिराए गए।

कहां कितने जर्जर भवन

● माधोपुर:	34
● तिवारीपुर:	27
● जगन्नाथपुर:	10
● आर्यनगर:	10
● गुलरिहा:	09
● वकसा हुसैन:	09
● बाबा गभीरनाथ नगर:	07
● नौसड़:	06
● कृष्ण पांडेय नगर:	05

यह कहना सही नहीं है कि केवल ब्रांडेड दवाएं ही

प्रभावी होती हैं। गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरने वाली जेनेरिक दवाएं भी प्रभावी होती हैं और मरीजों में उनका चिकित्सकीय रिस्पांस मिलता है।

योगेन्द्र नाथ दुवे, अध्यक्ष, दवा विक्रेता समिति, गोरखपुर

यह पूरी तरह से एक

संगठित सिडिकेट है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के स्पष्ट निर्देश हैं कि डॉक्टर केवल सॉल्ट लिखें। लेकिन चंद पैसों के लालच में ब्रांडेड दवाओं का खेल चल रहा है।

कंचन पाण्डेय, सामाजिक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मेडिकल कॉलेज

पूर्वी यूपी के कई जिलों

से आने वाले पेशेंट भालोेटिया से महंगी दवाएं खरीदते हैं। जेनेरिक स्टोर पर वही दवा 80 पैसे तक कम दाम में मिलती है, लेकिन वे काम नहीं करेंगी यह कहकर उन्हें भ्रमित किया जाता है।

प्रियंगना दुवे, सदस्य, मरीज अधिकार मंच

हर बीमारी की जेनेरिक

दवा उपलब्ध है। कैंसर और दिल की जो दवा 2000 की मिलती है, वह जेनेरिक दवा 300 में है। लेकिन बड़ा खेल ये है कि डॉक्टर पर्चे पर जानबूझकर ऐसा ब्रांड नेम लिखते हैं जो सिर्फ चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर ही मिलते हैं।

सूर्या, मेडिसिन कस्टमर

जेनेरिक दवाओं की सप्लाई

चेन को जानबूझकर बाधित करने की कोशिश की जाती है। ब्रांडेड कंपनियां होलसेलर्स पर दबाव बनाती हैं कि वे जेनेरिक दवा न उठाएं। इसके बावजूद हम कम मुनाफे पर दवाएं बेच रहे हैं।

अंकित, जेनेरिक दवा वितरक

अब सिलिंडर का दूर होगा संकट, कंज्यूमर्स को राहत

GORAKHPUR (7 Sep): ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग 45 दिन बाद किए जाने की अनिवार्यता खत्म होने पर ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। अब शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 25 दिन बाद सिलिंडर की बुकिंग शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों ने इस व्यवस्था पर खुशी जताई है। सिकरीगंज में रेस्टोरेट संचालक विवेकानंद मोदनवाल ने कहा कि परिवार में कई सदस्य हैं। मार्च में जब से रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग 45 दिन बाद करने की व्यवस्था बनाई गई, ब्लैक में सिलिंडर खरीदना मजबूरी बन गई थी। कोई मदद करने की भी स्थिति में नहीं था।

मार्केटिंग पर लगेगी लगाम

उरुवा बाजार निवासी प्रवीण कुमार सिंह बच्चू ने कहा कि सिलिंडर की बुकिंग की व्यवस्था पहले की तरह कर दी जानी चाहिए। यानी जब जरूरत हो, तब बुक कर सिलिंडर ले लिया जाए। इससे ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी। इंडियन ऑयल के उप महाप्रबंधक रवि कुमार चंदेरिया ने कहा कि नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ग्राहकों ने बुकिंग शुरू कर दी है।

घर किराए पर देने के लिए सिर्फ ₹33 प्रतिदिन में विज्ञापन दें *

Call: 9559950858

*T&C Apply

आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत केरलेश इलाज

आनन्दलोक हास्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर

डा. कनिका पोपली अग्रवाल
एम.बी.बी.एस., एम.डी., एफ.आई.ए.एल., ए.एस.आई. (ऑस्ट्रेलिया)
रिस्कन रोग विशेषज्ञ

डर्मटोलॉजी • लेज़र • कॉस्मेटोलॉजी

छात्रसंध चौक एवं गोरखनाथ, गोरखपुर
Mob.: 6390587997, 9415313813

स्टूडेंट्स ने मनाया टीचर्स डे

gorakhpur@inext.co.in
GORAKHPUR (7 Sep): मोमेंट बेतियाहाता में शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान एवं कुतूहल व्यक्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक अरविंद त्रिपाठी एवं विकास अग्रवाल ने दीप प्रचलन के साथ किया। स्टूडेंट्स की ओर से कई सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गीत, नृत्य, भाषण सहित अनेक मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी को भावविभोर कर दिया। इसके साथ ही अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से संदेश दिया कि शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाले नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत और व्यक्तिगत निर्माण के शिल्पकार भी होते हैं। इस मौके पर निदेशक अरविंद त्रिपाठी एवं विकास अग्रवाल ने संस्थान के सभी शिक्षकों एवं स्टूडेंट्स को शिक्षक दिवस की बधाई दी।

नाली में पिस्टल मिलने की सूचना पर जुटी भीड़

gorakhpur@inext.co.in
GORAKHPUR (7 Sep): नगर पंचायत के वार्ड संख्या छह और नौ के बीच बढ़या मार्ग पर सोमवार सुबह नौ बजे एक युवक फावड़ा लेकर नाली में कुछ खोजने लगा। करीब आधे घंटे तक युवक ने नाली में तलाश करने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान नाली से पिस्टल मिलने की चर्चा फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक ने नाली से कुछ

निकालने के बाद उसे अपने साथ लिया और अंटी से बढ़या मार्ग की ओर चला गया। उधर, सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी आदित्य सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ पटनस्थल की जांच की। सीओ कैप्टियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि नाली में कुछ खोजे जाने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। युवक के मिलने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। इलाके में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

GALLANT ISPAT LIMITED
Regd. Office: Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) Sahaw, Gorakhpur - 273029, Uttar Pradesh
Tele-fax: 0521-351550, www.gallant.com, E-mail: cs@gallant.com

NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, September 30, 2026 at 12:30 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM").

Notice of the Meeting setting out the businesses to be transacted thereat and the Annual Report for the year ended March 31, 2026 has been sent through email to the Members whose email addresses have been registered with the Company/Depositories in accordance with the General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with Circular Nos. 20/2020, 02/2022, 10/2022, 09/2023, 09/2024 dated May 05, 2020, May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 respectively (referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/ODHS/PI/CIR/2023/0164 dated 6th October, 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars").

The Annual Report for the financial year 2025-26 and AGM Notice is available and can be downloaded from the Company's website at www.gallant.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com; NSE at www.nseindia.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Further, the Board of Directors, at their meeting held on May 05, 2026, has, inter alia, recommended a dividend of Rs. 2/- (20%) per equity share of face value of Rs. 10/- each for the Financial Year ended 31 March, 2026, to the Members of the Company for their approval at the 22nd AGM.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the **Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Thursday, September 24, 2026 to Wednesday, September 30, 2026 (both days inclusive)** for the purpose of determining the Members eligible to receive the aforesaid dividend.

The aforesaid dividend, if declared by the Members at the 22nd AGM, will be paid subject to deduction of income tax at source ("TDS"). The dividend on Equity Shares, if approved by the Members, will be credited/dispensed within 30 days from the conclusion of AGM, to those Members whose names shall appear in the Register of Members of the Company as on the close of business hours on **Wednesday, September 23, 2026 (Record Date)**, and in respect of the shares held in dematerialized form, the dividend will be paid to Members whose names are furnished by NSDL and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on the Record Date.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the 22nd AGM of the Company. The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of voting through e-voting system during the AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility.

A. The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with the Notice convening the meeting, has been sent to the members. The Notice of the Meeting is also available on the website of the Company at www.gallant.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges on which the Equity Shares of the Company are listed.

B. The remote e-voting facility shall commence on **Sunday, September 27, 2026 (9:00 am)** and ends on **Tuesday, September 29, 2026 (5:00 pm)**. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter.

C. A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial owners as on the **cut-off date i.e. September 23, 2026** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the meeting.

D. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or cs@nsdl.com at www.gallant.com.

E. The members who have cast their vote by remote e-voting may join the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

F. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

G. The detailed procedure for remote e-voting, e-voting during the time of AGM and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the AGM.

In case of any query / grievances relating to the voting by electronic means, the Members / Beneficial Owners may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL by email at evoting@nsdl.com or call at 022-4886 7000.

Gallant Ispat Limited
Nitesh Kumar
Company Secretary

Date: September 07, 2026, Place: Gorakhpur